मध्यप्रदेश शासन
गृह(पुलिस)विभाग
मंत्रालय

पृ.क्र.-

पिछला	अगला

क्रमांक एफ0 12-24/2011/बी-1/दो.   भोपाल,दिनांक 24 जून,2011

प्रति,

1. पुलिस महानिदेशक,
   मध्यप्रदेश,
   पुलिस मुख्यालय, भोपाल.
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,
   मध्यप्रदेश,
3. समस्त जिला दण्डाधिकारी,
   मध्यप्रदेश,
4. समस्त पुलिस अधीक्षक,
   मध्यप्रदेश,

विषय वन विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा बल प्रयोग एवं शस्त्र प्रयोग के पश्चात दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 के तहत संरक्षण।

00

वन अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में अतिक्रमण/अवैध कटाई/अवैध उत्खनन जैसे प्रकरणों में आत्मरक्षार्थ शासकीय बन्दूक से गोली चालन जैसी कार्यवाही के समय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त है।

प्रकरण में स्पष्ट निर्देश के बावजूद पाया गया है कि वन कर्मियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर बिना दण्डाधिकारी जांच प्रसंज्ञान में लेकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे हैं एवं धारा 197 के अंतर्गत अनुमति भी नहीं ली जा रही है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं.2) की धारा 197 की उप धारा (2) के उपबंध के अंतर्गत वन कर्मियों को संरक्षण प्रदान करें एवं वन कर्मियों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर में तब तक प्रसंज्ञान न लिया जाये जब तक कि दण्डाधिकारी जांच में यह सिद्ध नहीं हो जाता कि शस्त्र प्रयोग/गोली चालन अनावश्यक/अकारण अथवा आवश्यकता से अधिक किया है। इस संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 11.06.1996 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न--उपरोक्तानुसार

24/6/11

(व्ही0के0वाधवानी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन,गृह विभाग

पृ0क0 एफ0 12--24/2011/बी 1/दो.   भोपाल, दिनांक 24 जून,2011

प्रतिलिपि--

अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग की ओर उनके द्वारा प्रमुख सचिव,गृह को प्रेषित अर्द्ध शासकीय पत्र क्र0 एफ0 14-22/10/10-2, दिनांक 06.05.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

24/6/11

अवर सचिव
म.प्र.शासन,गृह विभाग